रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1390] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2011/आषाढ़ 29, 1933

No. 1390] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2011/ASADHA 29, 1933

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2011

का.आ.1663(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व इस संबंध में की गई अथवा करने से हटाई गई चीजों को छोड़कर, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2976(अ) को अधिक्रान्त करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित का प्रतिषेध करती है:—

(1) (i) अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा (उच्च रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा और निम्न रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा) को ध्यान में रखते हुए, सभी देशों से भारत में पिंजरे में पाले और प्रजनित पक्षियों के अलावा वन्य पक्षी;

(ii) अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा (उच्च रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा और निम्न रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा दोनों) रिपोर्ट करने वाले देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात; अर्थात् —

(क) घरेलू और वन्य पक्षी (कुक्कुट सहित);

(ख) एक दिन के चूजे, बत्तख, टर्की और अन्य नवजात चूजे एवियन प्रजातियां;

(ग) एवियन प्रजातियां जिसके अंतर्गत जंगली पक्षी हैं से अप्रसंस्कृत मांस, और मांस उत्पाद;

(घ) हैचिंग अंडे;

(ङ) अंडा तथा अंडा उत्पाद (विनिर्दिष्ट रोगजनक मुक्त अंडों के सिवाय);

(च) अप्रसंस्कृत पंख;

(छ) जीवित सुअर;

(ज) विकृतिजन्य सामग्री और पक्षियों से जैविकीय उत्पाद;

(झ) पशु खाद्य उपयोग के लिए या कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए आयातित पशु मूल (पक्षियों से) का उत्पाद;

(ञ) कुक्कुट के वीर्य सहित घरेलू और जंगली पक्षियों का वीर्य।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार निर्यातक देश के संतोषजनक अनुरूपता आंकलन के अधीन प्रसंस्कृत कुक्कुट मीट के आयात की अनुमति दे सकती है।

2. मद (i) में विनिर्दिष्ट निषिद्धता इनके आयातों पर लागू नहीं होगी —

(i) आशयित एवियन प्रजातियों से बने मीट व मीट उत्पादों के घटकों वाले प्रसंस्कृत पालतू पशु खाद्य।

(ii) रोग निदान और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए पैथोलोजिकल सामग्रियों और जैविकीय उत्पादों के आयात।

[फा. सं. 109-21/2007-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव